

**कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर**


क्रमांक एफ-2/कनि0अभि0 (नियुक्ति)स्था-2/17/ 3974  
कार्यालय आदेश

दिनांक:- 04-8-17

1. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 03/2016 दिनांक 22.07.2016 को प्रसारित विज्ञापित के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 के नियम संख्या 20 के तहत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियम 26 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता **सिविल (डिप्लोमा)** के पद पर निम्नानुसार **अनुसूचित क्षेत्र** में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्णतया अस्थाई रूप से नियुक्ति किया जाता है:-

| S N | ROLL_NO | Candidate_Name   | DOB       | FINAL_CAT | Final_Selected | Posting                     |
|-----|---------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 1   | 200209  | जयराज सिंह चौहान | 8/11/1997 | GEN       | GEN            | नहर उपखण्ड द्वितीय, सागवाडा |

2. परीवीक्षाकालीन अवधि में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी./रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.15 के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि तक इन्हें रुपये 13,200/-प्रतिमाह की दर से भुगतान देय होगा।
3. परीवीक्षाकालीन अवधि की सेवायें संतोषप्रद पाए जाने पर इन्हें रनिंग पे-बैंड-2-रूपये 9300-34800 **Grade Pay of Rs 3600/-**प्रतिमाह एवं उन पर अन्य भत्ते देये होंगे।
4. (I) उक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होकर उपस्थित रिपोर्ट के साथ फोटो आई.डी की फोटो प्रति. दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हो के चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता, आयु, विधवा, परित्यक्ता स्त्री, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया प्रति सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।  
(II) अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
5. नियुक्ति निम्न शर्तों के तहत होगी:-  
I उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तौर पर होगी जो एक माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।  
II नियुक्तियों सेवा नियमों में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत जारी शर्तों के तहत निर्धारित होगी।  
III उक्त अभ्यर्थी पर राजस्थान सिविल सेवाये (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होंगे।  
IV नियुक्ति अभ्यर्थी आदेश जारी होने के 30 दिवस की अवधि में अपनी उपस्थिति पदस्थापित स्थान पर नहीं देगा तो उपरोक्त नियुक्ति आदेश निरस्त माने जायेंगे।  
V विवाहित अभ्यर्थी को विवाह प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान की सूचना उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।
7. यदि आप विवाहित हो तो:- क्या आपके एक से अधिक पत्नियों है ? स्त्री उम्मीदवार के लिये क्या आपने ऐसे पति से विवाह किया है जिसके एक से अधिक पत्नियों जीवित है, आपको इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा।



(असीम मार्कण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
जल संसाधन विभाग  
राजस्थान, जयपुर



क्रमांक एफ-2/कनि0अभि0 (नियुक्ति)स्था-2/17/3975-85 दिनांक:- 04-08-17  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा/जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़/नर्मदा नहर परियोजना, सांचोर/इगानप, बीकानेर/सीएडी पश्चिम, बीकानेर/सीएडी पूर्व, जयपुर/गुण नियंत्रण, जयपुर/एसडब्ल्यूआरपीडी, जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/रेगुलेशन, इगानप, बीकानेर/इगानप, जैसलमेर
6. अधीक्षण अभियंता.....
7. उप निदेशक (आई टी) जल संसाधन विभाग, जेएलएन मार्ग, सिंचाई भवन, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
8. अधिशाषी अभियंता, .....
9. सहायक अभियंता,.....
10. संबंधित पुलिस अधीक्षक,.....
11. श्री.....
12. रक्षा पत्रावली

(अनिल अस्थाना)

अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान, जयपुर